

## बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना के निर्वाचन की सूचना

फारम सं. 09

(देखें नियम- 15(2))

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि :-

- 1) बिहार राज्य से संसद के मुस्लिम सदस्यों के निर्वाचक मंडल के द्वारा बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के एक सदस्य के स्थान को भरे जाने हेतु निर्वाचन कराया जाना है।
- 2) बिहार राज्य के विधान मंडल के मुस्लिम सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के एक सदस्य के स्थान को भरे जाने हेतु निर्वाचन कराया जाना है।
- 3) बार काउन्सिल के मुस्लिम सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड से एक सदस्य के स्थान को भरे जाने हेतु निर्वाचन कराया जाना है।
- 4) 1.00 लाख रुपये से अधिक आय वाले वक्फ के मोतवल्लीयों के निर्वाचक मंडल द्वारा बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के एक सदस्य के स्थान को भरे जाने हेतु निर्वाचन कराया जाना है।
- 5) नामांकन पत्र किसी अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक द्वारा निर्वाची पदाधिकारी या श्री इब्रार अहमद खां, सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग -सह- सहायक निर्वाची पदाधिकारी/श्री राशिद हुसैन, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य हज समिति -सह- निर्वाची पदाधिकारी को हज भवन, 34, अली इमाम पथ, पटना स्थित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ वक्फ बोर्ड कार्यालय में दिनांक 10.08.2015 (सोमवार) से 19.08.2015 (बुधवार) तक 11.30 पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न के बीच किसी दिन (सार्वजनिक अवकाश से भिन्न) सुपुर्द किये जा सकेंगे।
- 6) नामांकन पत्र की जाँच निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ वक्फ बोर्ड कार्यालय, हज भवन, पटना में दिनांक 20.08.2015 (गुरुवार) को अपराह्न 2.30 बजे की जायेगी।
- 7) नामांकन पत्र की वापसी क्री सूचना किसी अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक (जिसे अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से सुपुर्द करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो) द्वारा निर्वाची पदाधिकारी को उसके कार्यालय में 1.00 बजे अपराह्न के पूर्व दिनांक 25.08.2015 (मंगलवार) को सुपुर्द की जा सकेगी।
- 8) चुनाव होने की स्थिति में मतदान दिनांक 07.09.2015 (सोमवार) को 10.00 बजे प्रातः से अपराह्न 3.00 बजे के बीच वक्फ बोर्ड कार्यालय में कराया जायेगा।
- 9) दिनांक 08.09.2015 (मंगलवार) को अपराह्न 1.00 बजे के पूर्व निर्वाचन पूरा कर लिया जायेगा।

स्थान- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

34, अली इमाम पथ (हार्डिंग रोड)

पटना - 1

दिनांक:-

10/09/15

निर्वाची पदाधिकारी -सह- उपसचिव

बिहार राज्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग